Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

सरकार बनाम तीजादेवी

किस्म मुकदमा :– अ.धा. 131 LRA

नं. मुकदमा.........16 / 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/02/2020	आज यह पत्रावली तहसीदार (भू.अ.) लूनकरनसर से उनके पत्र कमांक 10864 दिनांक 03.02.2020 के संलगन रिपोर्ट नवशा राजस्व/भू–प्रबन्ध विभाग व मिलान क्षेत्रफल प्राप्त होने पर मुरतीब हुई। दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि संलग्न पटवारी हल्का कालवास की रिपोर्ट अनुसार कालवास के खसरा नं. 321 तदादी 15.35 है. तीजादेवी पत्नी भगवानाराम वगै. के नाम से दर्ज रिकार्ड हैं। खसरा न. 322 तादादी 3.05 है. चम्पादेवी पत्नी तारूराम वगै. के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। खसरा नम्बर 321 का दुसरा खसरा नम्बर 418/196 व खसरा नम्बर322 का ख.नं. 197/214 है. भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन सेटलमेन्ट में खसरा नम्बर 322 को दो खसरों में अंकित कर दिया है जबकि 321 का खसरा नम्बर 15.35 है जो कि नक्शासीट में 15.35 ही है. व खसरा नम्बर 322 का रकबा 3.05 हैं. नक्शे में है अत 15.35 है. वाले खसरा नम्बर 322 की जगह 321 की दुरूस्ती चाही गई हैं। हमने तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट नक्शा भू–प्रबन्ध विभाग, नक्शा किस्तवार ग्राम कालवास, मिलान क्षेत्रफल व संलग्न प्राप्त जमाबन्दी का अवलोकन किया । जमाबन्दी में खसरा नम्बर 321 तादादी 15.35 हैं. तीजादेवी वगैरह व खसरा नम्बर 322 रकबा 3.05 हैं. चम्पादेवी वगैरह के नाम का अंकन हैं। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार मिलान क्षेत्रफल से उक्त खसरों एवं रकबा का मिलान होता हैं नक्शा में तरमीम करते वक्त भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सहवन से खसरा नम्बर 322 को दो बार अंकित कर दिया गया हैं इसकी दुरूस्ती की जानी उचित प्रतीत होती हैं। लिहाजा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 के तहत पूर्व में की गई गलत तरमीम को निरस्त किया जा कर खसरा नम्बर 322 रकबा 15.35 है. के स्थान पर खसरा नम्बर 321 दुरूस्त करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर निर्णय में शुमार हो। इस आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लूनकरनसर को प्रेषित की [illegible]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.08.04 17:43:25 IST
Reason: SelfAttested